

कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी
स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.

निविदा



2015–2016

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा
संबद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय एवं संजय गांधी स्मृति
चिकित्सालय मे केन्द्रिय पंजीयन एवं एम.आर.डी. समस्त
अनुसंधरण का कार्य आउट सोर्स माध्यम से संचालित करने
हेतु तृतीय निविदा का प्रारूप एवं भार्ते ।

निविदा फार्म का मूल्य रू. 5000.00

निविदा प्रपत्र क्रमांक.....

रसीद क्र.....

दिनांक.....

निविदा आवेदन प्रपत्र

निविदाकर्ता अपने स्वयं के लेटर हेड पर इस प्रारूप में निविदा प्रपत्रों की भातों के अनुसार निविदा प्रस्तुत करेंगे।

प्रति ,

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा

विशय:— गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा में केन्द्रिय पंजीयन का कार्य एवं एम.आर.डी. समस्त अनुसंधरण का कार्य आउट सोर्स माध्यम से संचालित करने हेतु निविदा।

संदर्भ:— स्थानीय समाचार पत्र.....के दिनांक.....के संस्करण में प्रकाशित आपका विज्ञापन क्र.....दिनांक.....

श्रीमान्,

विशयान्तर्गत हम/मैं गांधी स्मारक/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में केन्द्रिय पंजीयन का कार्य एवं एम.आर.डी समस्त अनुसंधरण का कार्य आउटसोर्स के माध्यम से संचालित करने हेतु संलग्न प्रपत्र में दर सहित अपनी निविदा आवेदन सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

मुझे निविदा प्रपत्र में संलग्न सभी भातें मजूर हैं।

1. निविदाकर्ता का नाम.....
2. संस्था/दुकान/कम्पनी का नाम एवं भील.....
3. संस्था/दुकान/कम्पनी का पूर्ण पता.....मोबाइल नं.....
.....कार्यालय फोन नं.....निवास फोन नं.....
4. उपरोक्त कार्य करने का विगत वर्षों का विवरण (आवक होने पर अलग से सीट लगायें).....
5. आयकर स्थाई लेख नं. (पैन नं.).....
6. वाणिज्य कर रजिस्ट्रेशन नं. (टिन नं.).....
7. रजिस्ट्रेशन/दस्तावेजों की छायाप्रति जो संलग्न करना आवश्यक है:—
 - धरोहर राशि ₹ 1.00 लाख की एफ.डी.आर जो एक वर्ष के लिये जारी की गई हो तथा संयुक्त संलालन एवं अधीक्षक जी.एम.एच. रीवा के नाम से अनुबंधित हो।
 - वार्षिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी।(₹ 10.00 लाख वार्षिक से कम नहीं होना चाहिये)
 - आयकर रिटर्न के रसीद की छायाप्रति एसेसमेंट वर्ष 2014-15
 - पैन कार्ड की छायाप्रति।
 - टिन रजिस्ट्रेशन नं. की छायाप्रति।
 - 100.00 ₹ राशि के नान जूडिसियल स्टाम्प पेपर पर भापथ पत्र मूलतः।
 - अनुभव प्रमाण पत्र (पूर्व में संस्थानों को प्रदाय सेवा की सूची)
 - गांधी स्मारक चिकित्सालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी से संबंध यदि हो तो.....
 - अन्य कोई विवरण.....

निविदाकार के हस्ताक्षर
संस्था की सील

गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा

निविदा प्रपत्र

गांधी स्मारक चिकित्सालय / संजय गांधी समृति चिकित्सालय रीवा में केन्द्रीय पंजीयन एवं एम.आर.डी. हेतु निविदा वर्ष 2015-016 ।

कोरे निविदा फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	31.3.2015 सायं 3 बजे तक
भरी हुई निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	9.4.2015 सायं 3 बजे तक
प्राप्त निविदा खोलने का दिनांक एवं समय	10.4.2015 दोपहर 12:30 बजे
अमानत राशि ₹.	₹.100000.00 (एक लाख) डी.डी
निविदा प्रपत्र भुल्क	₹. 5000.00 (पांच हजार)डी.डी

निविदा जमा करने हेतु नियम एवं शर्तें

1. निविदा पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, हाथों हाथ में से किसी भी एक माध्यम द्वारा प्रस्तुत की जा सकेगी। पोस्टल विलंब के लिये यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा ।
2. निविदा के साथ ₹. 100000.00 (एक लाख) मात्र की सुरक्षा राशि के रूप में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमाण्ड ड्राफ्ट. जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम हो संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
3. कृपया प्रत्येक लिफाफे को पूर्ण रूप से चपड़े वाली सील से ही सील कर बंद करें।
4. अपूर्ण फार्म को नहीं शामिल किया जावेगा एवं इसकी पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। इस बाबत किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जावेगा।
5. निविदाकर्ता द्वारा निविदा दो अलग-अलग लिफाफों में जिसमें ए, लिफाफे में मांगे गये समस्त दस्तावेज (तकनीकी बिड) एवं लिफाफा बी में प्राइस बिड रखकर सील बंद किया जावें , इन दोनो सीलबंद लिफाफों को लिफाफा सी (आउटर लिफाफा) के अंदर रखकर सीलबंद किया जावें

निविदा को खोलना :-

1. निविदा फार्म निम्नानुसार खोला जावेगा –

- (ए) लिफाफा ए खोलने की तिथि अधिष्ठाता कार्यालय के कान्फ्रेस हाल में दिनांक 10.04.2015 को दोपहर 12:30 बजे खोला जावेगा। जिसमें निविदाकार या उसके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि भी उपस्थित रह सकता है। यदि निविदा फार्म के लिफाफा ए में कोई कमी पाई जाती है तो निविदा मान्य नहीं की जावेगी। निविदा शुल्क ₹. 5,000/- वापस नहीं किया जावेगा।
- (बी) लिफाफा बी (प्राइस बिड को खोलना) – जिन निविदाकारों की तकनीकी बिड निविदा शर्तों के अनुरूप पाई जावेगी उन्हीं निविदाकारों की प्राइस बिड चिकित्सा महाविद्यालय के कान्फ्रेस हाल में खोली जावेगी जिसमें निविदाकार या उसके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है। इसकी सूचना पृथक से दी जावेगी।

निविदा फार्म भरने का तरीका –

1. पता – निविदाकार अपना पूरा पता लिखें जिससे की उनके पते का सत्यापन सामान्य रूप से किया जा सके। अपूर्ण पता बिड के निरस्त होने का कारण बन सकता है।
2. नामांकित प्रतिनिधि – निविदाकार स्वयं या उसका मात्र एक नामांकित प्रतिनिधि ही निविदा खुलते समय उपस्थित रह सकता है। नामांकित प्रतिनिधि को निविदाकार द्वारा जारी किया अधिकृत मूल पत्र को दिखाना अनिवार्य होगा जिसमें निविदाकार द्वारा उसके हस्ताक्षर को सत्यापित किया हो।
3. अधिकृत व्यक्ति – जैसे ही निविदाकार से प्रतिनिधि अधिकृत होने का पता चलता है वैसे ही वह व्यक्ति इस आशय का पत्र (सील सहित) से संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा को अवगत करायेगा कि उसके पास निविदाकार का इस आशय का अधिकार है कि वह निविदाकार की तरफ से निर्णय ले सकता है जो कि निविदाकार को मान्य होगी।
4. किसी भी स्थिति में क्रय किया गया निविदा फार्म का शुल्क वापस योग्य नहीं होगा एवं किसी भी प्रकार से एक बार जमा करने पर निविदा फार्म वापस नहीं किया जावेगा।

धरोहर राशि जमा करना –

1. निविदा के साथ रू. 100000.00 (एक लाख) मात्र की सुरक्षा राशि के रूप में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमाण्ड ड्राफ्ट. जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम हो संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
2. यदि किसी एक निविदाकार की निविदा स्वीकृत होती है तो अन्य निविदाताओं को उनकी धरोहर राशि बिना ब्याज के तीन माह में वापस कर दी जावेगी।

उपलब्ध अधोसंरचना/जगह –

1. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय से संबंध गांधी स्मारक चिकित्सालय एवं संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय के बाह्य रोगी विभाग के ग्राउंड फ्लोर पर बाह्य रोगियों की पर्चियां जारी करने हेतु कम्प्यूटर स्थापित करने के लिये स्थान उपलब्ध है।
2. आकस्मिक चिकित्सा विभाग में भर्ती रोगियों की पर्ची, विजटर पास एवं विभिन्न जाचों की रसीदें जारी करने हेतु कम्प्यूटर के लिये स्थान निर्धारित है।
3. उक्त स्थान के अतिरिक्त चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा निविदाकार को चिकित्सालय भवन में एक रूम में सर्वर रखने हेतु उपलब्ध कराया जावेगा।
4. सभी निविदाकार चाहे तो उपलब्ध जगह का संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा द्वारा अनुमति प्राप्त कर निरीक्षण किया जा सकता है।
5. सफल निविदाकार को आन्तरिक साज-सज्जा स्वयं करानी होगी तथा अनुबन्ध अवधि समाप्त होने पर इसका कोई खर्च नहीं दिया जावेगा और न ही इसकी मांग की जावेगी।

अन्य शर्तें –

1. निविदाकार को निर्धारित कार्य हेतु 20 आधुनिक कम्प्यूटर (पेन्टियम 05) लेजर प्रिन्टर तथा आवश्यकतानुसार सर्वर एवं अन्य उपकरण निर्धारित स्थानों पर स्थापित करने होंगे। सभी कम्प्यूटरों में आधुनिक मेडिकल हॉस्पिटल साफ्टवेयर तथा आई.सी.डी.-10 क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज का साफ्टवेयर लगा होना अनिवार्य होगा। भविष्य में चिकित्सालय के अन्य स्थानों पर 50 कम्प्यूटरों का विस्तार किया जावेगा। जिसके लिये उतनी क्षमता का सर्वर लगाना होगा।

2. कम्प्यूटरों के संचालन हेतु निविदाकार को योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति जिनकी योग्यता पी. जी.डी.सी.ए. से कम नहीं होगी नियुक्ति स्वयं के व्यय में करनी होगी नियुक्त किये गये कर्मचारियों के योग्यता प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में जमा कराने होंगे। कर्मचारियों को चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा निर्धारित समय सीमा तक कम्प्यूटर पर कार्य करने होंगे।
3. निविदाकार को केन्द्रीय पंजीयन कार्य,ओपीडी/आईपीडी की जाँच रसीदें,डिस्चार्ज टिकिट, मेडिसिन इश्यु स्लिप, विजटर पास, नये एवं पुराने मरीजों का अलग पंजीयन, मेडिकल रिकार्ड डिपार्टमेन्ट का समस्त कार्य संपादित करना होगा।
4. निविदाकार द्वारा नियुक्त किसी भी कर्मचारी की जिम्मेदारी चिकित्सा महाविद्यालय/चिकित्सालय प्रबंधन की नहीं होगी और न ही महाविद्यालय/चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा निविदाकार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को अपने पास कार्य करने हेतु नियुक्त करेगा।
5. 05 कम्प्यूटर 24 घण्टे चालू रहेंगे। 15 कम्प्यूटर कार्यालयीन समय अनुसार/बताए अनुसार कार्य करेंगे। विभिन्न स्थानों पर कम्प्यूटर की स्थापना हेतु प्रथम पक्ष द्वारा स्थान उपलब्ध कराया जावेगा। फर्नीचर साज-सज्जा तथा आवश्यकतानुसार अन्य सामग्री की व्यवस्था निविदाकार को स्वयं करनी होगी जिसके लिये पृथक से कोई राशि नहीं दी जावेगी।
6. लगाए जाने वाले कम्प्यूटरों का निविदाकार द्वारा तकनीकी समिति के समक्ष डिमान्स्ट्रेशन करना होगा। तथा उनकी अनुशंसा पर ही कम्प्यूटर स्थापित किये जावेंगे।
7. निविदाकार द्वारा नियुक्त किसी भी कर्मचारी की दुर्घटना/मृत्यु होने पर चिकित्सा महाविद्यालय/चिकित्सालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा कोई अनुकम्पा/क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं करेगा।
8. निविदाकार को अपने कर्मचारियों को यूनिफार्म एवं फोटोयुक्त परिचय पत्र स्वयं के व्यय पर बनवा के देने होंगे तथा निविदाकार के द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को अपने निर्धारित यूनिफार्म एवं परिचय पत्र के साथ उपस्थित होना पड़ेगा।
9. निविदाकार को म0प्र0 मे प्रचलित सभी श्रम कानून का पालन करना होगा तथा पी.पी.एफ. इत्यादि का लेखा प्रस्तुत करना होगा।
10. निविदाकार को अपने कर्मचारियों का फोटोयुक्त बायोडाटा पुलिस सत्यापन सहित संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा में जमा करना होगा।
11. निविदाकार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों में से किसी के अवकाश पर जाने या नौकरी छोड़ने पर चिकित्सालय का पंजीयन कार्य बाधित न हो इस हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की जिम्मेदारी स्वयं निविदाकार की होगी।
12. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय रीवा प्रबंधन द्वारा अधिकृत कर्मचारियों को निविदाकार/निविदाकार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों द्वारा पूर्ण सहयोग करना होगा। किसी प्रकार की शिकायत आने एवं जाँच में सत्य पाये जाने पर अधिष्ठाता श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा का निर्णय मान्य होगा।

13. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा द्वारा निविदाकार को निविदा में स्वीकृत दर के आधार पर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक जी.एम.एच.रीवा द्वारा सत्यापित देयक प्रस्तुत करने पर भुगतान दिया जावेगा।
14. निविदाकार द्वारा निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर निविदा रद्द करने का अधिकार अधिष्ठाता श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा होगा।
15. अधिष्ठाता श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय/ संबंधित चिकित्सालय को यह अधिकार होगा की निविदाकार द्वारा चिकित्सालय में स्थापित उपकरणों को ले अथवा नहीं।
16. निविदाकार द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन से नियमानुसार काटे गये ई.पी.एफ. एवं देय अन्य करों आदि की जानकारी से अधिष्ठाता श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय को नियमित रूप से अवगत कराना होगा।
17. निविदाकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा की स्वीकृति बैगर केन्द्रीय पंजीयन कार्य में उपयोग होने वाले उपकरणों के अतिरिक्त अन्य कोई उपकरण संस्था के कैम्पस या आवंटित जगह पर नहीं लगा सकेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी या उनके प्रतिनिधि किसी भी समय आवंटित परिसर का निरीक्षण कर सकेंगे एवं अव्यवस्था पाये जाने पर निराकरण हेतु आदेश का अधिकार होगा।
18. निविदाकार का यह कर्तव्य होगा की मरीजों अथवा मरीजों के सगे-संबंधियों के साथ हुये किसी मतभेद/वाद-विवाद हेतु पुलिस/न्यायालय जाने के पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा या उनके प्रतिनिधि को सूचित करना जरूरी होगा एवं प्रदेश शासन के नियमों का पालन करना होगा।
19. सफल निविदाकार को अपने स्टाफ की नियुक्ति एवं उनके बदलाव/परिवर्तन का अधिकार होगा। निविदाकार को कार्य पर लगे स्टाफ की सूची एवं परिवर्तन करने की सूचना मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय रीवा एवं संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, जी.एम.एच. रीवा को लिखित रूप से देनी होगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी को स्टाफ पर नियंत्रण एवं निर्धारण का अधिकार नहीं होगा। निविदाकार पर नियमों के अन्तर्गत वेतन, ई.पी.एफ. एवं वेतन से काटे जाने वाले वैधानिक अंशदान तथा अन्य वैधानिक करों को जमा करने का दायित्व होगा।
20. सफल निविदाकार को अपने सभी कम्प्यूटर्स एवं संबंधित उपकरणों को पूरे समय अच्छी हालत में रखना आवश्यक है एवं शत प्रतिशत अप-टाइम देना आवश्यक होगा। कम्प्यूटर्स या अन्य उपकरणों में आई खराबी को तुरन्त दूर करना होगा। अन्यथा चिकित्सालय को होने वाली क्षति एवं मरीजों की असुविधा के लिये स्वयं जिम्मेदार होगा।
21. निविदाकार चिकित्सा महाविद्यालय रीवा एवं संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों/नर्सिंग स्टाफ एवं उन पर आश्रित परिवार जनों का उपचार बी.पी.एल. मरीजों के समान निशुल्क ओ.पी.डी., आई पी. डी टिकिट, जांच रसीदें जारी करने हेतु कोई शुल्क प्राप्त नहीं करेगा।
22. करार में वर्णित किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने पर निविदाकार का ठेका समाप्त किया जा सकेगा और इस दशा में उपयोगकर्ता को यह अधिकार होगा की निविदाकार की जमा सुरक्षा निधि को दण्ड स्वरूप राजसात कर लें।

23. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय की स्वशासी समिति अपनी आवश्यकतानुसार करार पत्र मे कोई अतिरिक्त कंडिका का समावेश कर सकेगी।
24. प्रारंभिक तौर पर निविदा एक वर्ष के लिये होगी। निविदा की अवधि का विस्तार भी किया जा सकता है जिसका पूर्ण अधिकार श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय को होगा। निविदा मे पूछे गये सवालों का जबाब सीधा होना चाहिये। किसी प्रकार का संशय करने वाला या द्विअर्थी जबाब न दिया जावे।
25. प्रदेश शासन द्वारा चिन्हित बी.पी.एल., दीनदयाल अन्तयोदय उपचार योजना के गरीब मरीजों, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, भवन संनिर्माण कर्मकार योजना मण्डल एवं सेवानिवृत्त म0प्र0 शासकीय सेवाकों एवं स्वतंत्रत्रा संग्राम सेनानीयो, राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना एवं आपतकालीन मरीजों (जैसे- सडक दुर्घटना, अपदा-विपदा) आदि का पंजीयन निःशुक्ल करना होगा।
26. यदि किसी भी कर्मचारियो के द्वारा फ्री मरीजो से किसी भी प्रकार का भुगतान लिया जाता है तो उसका जुर्माना निविदाकार से लिया जावेगा।
27. प्रतिदिन रजिस्टर्ड होने वाले ओ पीडी एवं आई.पी.डी, ओल्ड मरीजो एवं डिस्चार्ज होने वाले मरीजो के नामों की सूची का प्रिंट आउट कम्प्यूटर से निकाल कर केन्द्रीय पंजीयन नोडल अधिकारी को सौपना होगा।
28. प्रतिदिन एकत्र होने वाली राशि समरी के साथ नोडल अधिकारी के पास जमा करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ यह भी लिखकर देना होगा की मेरे द्वारा जमा की गई राशि रिपोर्ट में दर्शाये गये आंकड़ों के अनुसार है तथा इसमें किसी प्रकार की हेरा फेरी नहीं है। अगर कोई हेरा फेरी होती है तो उसकी पूर्ण रूप से मेरी जबाबदारी होगी।
29. एम.एल.सी., नान एम.एल.सी मृत्यु फाइल हमेशा के लिये हार्ड डिस्क मे स्टोर करके रखना होगा। इसकी माहवार सी.डी /हार्ड कापी तैयार कर प्रभारी अधिकारी आकस्मिक चिकित्सा विभाग को देना अनिवार्य होगा।
30. विभागावार सभी बीमारियों का पंजीयन रिकार्ड पृथक से सूचीबद्ध करना होगा एवं इसकी माहवार सी.डी /हार्ड कापी तैयार कर प्रभारी अधिकारी आकस्मिक चिकित्सा विभाग को देना अनिवार्य होगा।
31. विद्युत अवरोध होने पर कम्प्यूटर सतत चालू रखने हेतु निविदाकार को स्वयं के व्यय पर यू.पी.एस.(कम्प्यूटर बैट्री बैकअप) लगाना अनिवार्य होगा।
32. निविदाकार द्वारा सभी कम्प्यूटर स्वयं के व्यय पर स्थापित किये जावेंगे एवं उन पर किसी भी प्रकार की खराबी आने पर व्यय की संपूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
33. एम.आर.डी. मेडिकल रिकार्ड डिपार्टमेन्ट कक्ष के लिये विभागों से रिकार्ड लाने-ले जाने की जवाबदारी निविदाकार की होगी।
34. निविदाकार/नियुक्त कर्मचारियों द्वारा साफ्टवेयर एवं कम्प्यूटर चलाने का प्रशिक्षण चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालयीन स्टॉफ को दिया जावेगा इस हेतु प्रबंधन द्वारा सूची उपलब्ध कराई जावेगी। इसके लिये किसी भी प्रकार का भुगतान निविदाकार को नहीं किया जावेगा।
35. ओ.पी.डी. आई.पी.डी. के टिकिट की साईज ए-4 पेपर पर एवं जॉच रसीदों एवं विजटर पास की साईज ए-8 होगी। डिस्चार्ज टिकिट की साईज ए-4 होगी।
36. सभी प्रकार के कम्प्यूटर कंजुमेबल, बैकअप मीडिया, प्री प्रिंट्रेड कम्प्यूटर स्टेशनरी आदि पर होने वाला समस्त व्यय निविदाकार को वहन करना होगा।
37. क्षेत्राधिकार सभी विवादों का निपटारा रीवा स्थिति माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत होगा।
38. एम.सी.आई. के मापदण्डानुसार पुराने मरीजों का पंजीयन पृथक से विभागावार करना अनिवार्य होगा। इसका प्रावधान निविदाकार को अपने साफ्टवेयर में करना अनिवार्य होगा।

संजय गांधी स्मृति एवं गांधी स्मारक चिकित्सालय मे केन्द्रीय पंजीयन व्यवस्था एवं एम.आर.डी.
को आउट सोर्स करने हेतु निविदा प्रक्रिया

लिफाफा क्रमांक :- ए

1. धरोहर राशि रूपये 1,00,000 /- (रु. एक लाख मात्र) का डी.डी. जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम देय होगा।
2. आवेदन पत्र।
3. घोषणा पत्र।
4. कहीं ब्लैकलिस्ट नहीं किय गया हैं इस आशय का नोटरीकृत शपथ पत्र।
5. निविदा फार्म हस्ताक्षरित एवं फर्म की सील सहित (निविदा फार्म के हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर हो)।
6. विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. फर्म/कम्पनी का वैध पंजीयन प्रमाण पत्र।
8. विगत दो वर्षों की फर्म/कम्पनी की बैलेन्स सीट जो कि किसी सी.ए. द्वारा जारी की गई हो।
9. पेन कार्ड की छायाप्रति।
10. कम से कम 100 बिस्तर वाले शासकीय/निजी प्रतिष्ठित चिकित्सालय मे केन्द्रीय पंजीयन व्यवस्था का कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

psd fyLV (fyQkQk , es j[kus gsrq 1/2

1/4layXu nLrkost1/2

fyQkQk , rduhdh fcM& Pksd fyLV

dz-	fufonk ds IkFk okafNr vko';d nLrkost	fufonkd kj }kjk fVd fd;k tkos i'"B dz-n'kkZ;k tkos	dz; lfefr }kjk fVd fd;k tk;sA
		gka@ugh	gka@ugh
1-	ewy fufonk izi= es izR;sd i'"B ij gLrk{kj o lhy;qDr ewyr%		
2-	vekur jkf'k ds :lk es eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh ,oa vf/k"Bkrk fdfdRlk egkfo ky; jhok ds uke :- 100000-00 1/4,d yk[k 1/2 dk Mh-Mh dzekad-----fnuakd-----		
3-	QeZ@laLFkk dh jftLV ^a s'ku dh Nk;kizfr A ftles fufonkd`r dk;Z O;olk; nf'kZr gksA		
4-	vk;dj fjVuZ o"kZ 2011&12]2012&13]2013&14 dh jlhn		
5	oS/k okf.kT; dj fDy;jsal izek.k i=		
6-	lfoZI VSDI Dyh;jsal izek.k i=		
7-	100-00 jkf'k ds ukau twfMfl;y LVsEi isij ij 'kiFk i= ewyr%		
8-	dk;Z vuqHko izek.k i= 100 fcLrj okys 'kkldh; fdfdRlky;@futh izfrf"Br fdfdRLkky;		
9	iSu dkMZ dh Nk;kizfr		
10	fVu ua- jftLVs'ku dh Nk;kizfr		
11	lfoZI VSDI ua- dh Nk;kizfr		

12	02 o"kZ dh cSaysal lhV lh-,- }kjk izekf.kr 2012&13]2013&14 ftlesa VuZ vksoj :- 10-00 yk[k ls de u gksA		
13	nj lwph ¼izkbl fcM ½		

fufonkdkj ds gLrk{kj ,oa lhy

लिफाफा क्रमांक :- बी

(प्राइस बिड)

क्रमांक	विवरण	दर अंकित करें
1.	निविदा शर्तों में उल्लेखित सभी सेवाओं के लिये 20 आधुनिक कम्प्यूटरों से पंजीयन व्यवस्था एवं एम.आर.डी. हेतु ली जाने वाली संपूर्ण राशि की मासिक दर (प्रतिमाँह)	
2.	देय कर की राशि पृथक-पृथक दर्शायें	
	राशि का योग	
	प्रति अतिरिक्त कम्प्यूटर स्थापना हेतु राशि (प्रतिमाँह)	

fufonkdkj ds gLrk{kj ,oa lhy

प्रति,

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय
रीवा (म0प्र0)

विषय:— गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा में केन्द्रिय पंजीयन का कार्य एवं एम.आर.डी. समस्त अनुसंधरण का कार्य आउट सोर्स माध्यम से संचालित करने हेतु निविदा फार्म जमा करने बावत्।

—0—

आपके द्वारा जारी किया गया निविदा क्रमांकदिनांकके पालन मे हम (फर्म / निविदाकार का नाम)

आपके चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय मे केन्द्रीय पंजीयन कार्य एवं एम.आर.डी (एम.सी. आई. अनुसार) के संपादन हेतु निविदा फार्म सभी शर्तों के साथ जमा कर रहा हूँ। मैने/हमने सभी शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ एवं समझ लिया है। यदि मेरी बिड आपके द्वारा स्वीकार की जाती है तो आपके द्वारा की गई एप्रूव दर पर अनुबंध करूँगा एवं भविष्य मे भी आपके द्वारा दी गई शर्तों को मान्य करूँगा।

आपका शुभेच्छु

नामांकित हस्ताक्षरी
(फर्म का पूरा नाम, हस्ताक्षरकर्त्ता का नाम एवं पद, सील सहित)

दिनांक		फोन न.		फैक्स न.	
स्थान		मोबाइल न.		ई-मेल आई.डी.	

(इस पत्र को फर्म/कम्पनी अपने अधिकृत लेटर पैड पर ही देवें)

घोषणा पत्र

मै पद

कम्पनी/फर्म का नाम

.....कम्पनी/फर्म का नामांकित हस्ताक्षरी होने के कारण शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मैंने निविदा की सभी शर्तें पढ़ एवं समझ लिया हूँ जो कि आउट सोर्सिंग के माध्यम से श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय एवं संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय हेतु केन्द्रीय पंजीयन कार्य के संपादन हेतु मजूर करता हूँ।

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम

पद

कार्यालय का पता

(कार्यालयीन सील)

100 रू0 (एक सौ रू.) के नान जूडिसियल स्टाम्प पेपर में प्रस्तुत करें

घोंशणा पत्र (अपथ पत्र)

1. मै/हम भारत के नागरिक हूँ/है।
2. मै/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार संविदा के लिये सक्षम हूँ/है।
3. मुझे/हमें चिकित्सालय मे तथा म.प्र. भासन के किसी विभाग द्वारा बहिश्कृत नही किया गया है हमारी संस्था को किसी भी भासकीय/अर्द्ध ासकीय/स्व ासी संस्था द्वारा काली सूची में नही रखा गया है।
4. मै/हम किसी ऐसे कान्ट्रेक्टर जो कि म.प्र. भासन के किसी विभाग द्वारा वहिश्कृत किया गया हो न तो अभिकर्ता हूँ/है और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते हैं।
5. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की भातों के अलावा अन्य कोई भातें प्रस्तुत नही की गयी है। यदि अन्य कोई भातें प्रस्तुत की गयी है तो उसे अमान्य किया जाये।
6. मेरे/हमारे द्वारा इस निविदा में भरी मूल्य दर से कम मूल्य दर की निविदा म.प्र. राज्य के किसी संस्था या कार्यालय में प्रस्तुत नही की गई है।
7. मै/हम चिकित्सालय के किसी भी कर्मचारी संबंधित नही है।
8. मेरे/ हमारे/संस्था के उपर राज्य सरकार/केन्द्र सरकार का कोई कर बकाया नही है।
- 9- gekjh laLFkk ds fo:} lh-ch-vkbZ0@'kkldh; dk;kZy; bR;kfn esa dksbZ tkpa yfacr ugh gSA ukgh l{ke U;k;ky; es vkijkf/kd izdj.k ntZ gS vkSj u gh nf.Mr fd;k x;k gSA
10. हमारे/मेरे द्वारा सप्लाई की गई मांग अनुसार गुणवता की जिम्मेवारी मेरी होगी।

1. गवाह का नाम.....
.....व पता.....

2. गवाह का नाम.....
.....व पता

संस्था के समक्ष अधिकारी का नाम.....
पता.....

संस्था का नाम एवं पता.....
.....